

## नोटिस

न्यायालय/कार्यालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम आजमगढ़ (उ0प्र0)

पत्रांक: 883/वि0उप0व्य0नि0फो0आ0/2020

दिनांक 24.01.2020

श्रीमती कमलावती शर्मा पत्नी स्व0 धर्मराज राय, साकिन-तेन्दुआ, थाना-बिलरियागंज, तहसील-सगड़ी, जनपद-आजमगढ़।.....परिवादी

### बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(द्वितीय), आजमगढ़।.....विपक्षी

परिवादी (श्रीमती कमलावती शर्मा पत्नी स्व0 धर्मराज राय) आपको एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके प्रार्थनापत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आप स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा न्यायालय में दिनांक 03.02.2020 को उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

विपक्षी (अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-(द्वितीय), आजमगढ़।) को इस संबंध में विद्युत शिकायत के संबंध में स्वयं या किसी विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.02.2020 को पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, की ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत करें। अन्यथा उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही आदेश पारित कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 24.1.2020 न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है।

संलग्नक:- परिवाद-पत्र की फोटो कापी

दिनांक: 24.1.2020

o/c



विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम,  
आजमगढ़ (उ0प्र0)

पारसनाथ राम  
30-01-2020  
EE-E-D-D. II. Azamgarh